

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10261/3129

दिनांक :- 14/03/2019

कार्यालय आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री नीतू जांगीड़ [लिंक न. 10261] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी (शहर), कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर - [1108] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 93 के अंतर्गत चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

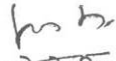
दिनांक 24/09/2018 से 08/10/2018 तक 15 दिवस

दिनांक 11/10/2018 से 06/11/2018 तक 27 दिवस

दिनांक 13/11/2018 से 12/12/2018 तक 30 दिवस

कुल 72 दिवस

उक्त कुल 72 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री /श्रीमती / सुश्री नीतू जांगीड़ की मेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहानी)

निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10261/3129

दिनांक :- 14/03/2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी (शहर), कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर
2. कोषाधिकारी जयपुर
3. श्री /श्रीमती / सुश्री नीतू जांगीड़ [10261] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी (शहर), कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
- ✓ 5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. गृहित पद्यावली


(शिल्पी कौशिक)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)